न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 81 सन् 2020
पंजीयन दिनांक 14.10.2020

1. रतनलाल पिता भेरा जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. भंवरलाल पिता केशुराम जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. शंकरलाल पिता छोगा जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. चन्दु पिता छोगालाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. राधेश्याम पिता भंवरलाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. गोवर्धन पिता बंशीलाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. बाली पुत्री बंशीलाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. कस्तुरी बेवा बंशीलाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. कैलाशी बाई पत्नि रतनलाल जाति नाई निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
9. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 201/2019 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.07.2020

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. जाहिद रजा खान –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 व 4 से 7
3. पंकज टेलर–रेस्पोडेन्ट सं. 8
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 9

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 04.04.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की खाता सं. 83 मे दर्ज आराजी नम्बर 1237/2ग रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1735 रकबा 0.37 हैक्टेयर व खाता सं. 74 मे दर्ज आराजी नम्बर 590, 603, 605/1, 645/1, 1237/1, 1238/1, कुल किता 6 रकबा 22 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 797, 798, 812, 819, 864, 1736 कुल किता 6 कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर व खाता सं. 85 मे दर्ज आराजी नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1734 रकबा 0.22 हेक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। इसी अनुसार जमाबन्दी संवत् 2057–2060 की खाता सं. 255 मे दर्ज आराजी नम्बर 570 रकबा 8 बिस्वा जिसके नवीन खाता सं. 34 मे नवीन आराजी नम्बर 775 रकबा 0.9 हैक्टेयर व मौजा मानपुरा तहसील भदेसर की खाता सं. 30 मे दर्ज आराजी नम्बर 276 रकबा 3 बीघा आराजी नम्बर 284 रकबा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 306 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बिस्वा के नवीन खाता सं. 81 जमाबन्दी संवत् 2071–2074 मे आराजी नम्बर 608 रकबा 0.65 हैक्टेयर आराजी नम्बर 620 रकबा 0.04 हैक्टेयर आराजी नम्बर 640 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड मे चुन्नीलाल पिता लाला का हक हिस्सा उसके साथ अंकित है। अन्य सहखातेदार के नाम व हिस्से का उल्लेख किया हुआ है। उक्त खातेदार चुन्नीलाल पिता लाला का स्वर्गवास नवीन भू–प्रबन्ध होने से पूर्व ही हो गया है। जिसके विरासती नामान्तकरण ग्राम पंचायत मे बिना जांच पडताल किये सहखातेदारान को सूचित किये बिना नामान्तकरण सं. 410 दिनांक 06.12.2004 को फैसल करते हुए बिना किसी जांच पडताल के केशु पिता लाला एवं शंकरलाल पिता छोगा का नाम दर्ज कर दिया। राजस्व इन्द्राज वाली त्रुटि भू–प्रबन्ध मे भी कायम की गई।

वादपत्र मे यह निवेदन किया गया कि सही तथ्य छिपाते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जानकारी प्राप्त किये मृतक चुन्नीलाल के हक व हिस्से की कुलिया कृषि भूमि उसके जीवित भाईयो के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी। जबकि मृतक चुन्नीलाल उर्फ चुना पिता लाला नाई ने रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी को गोद पुत्र की हैसियत से अपने पास रखकर परवरिश करते हुए रक्त सम्बन्ध होने से रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष मे अपने हक व हिस्से की समस्त चल–अचल सम्पत्ति जिसमे रिहायशी मकान समेत स्वस्थ्यचित एवं स्थिर बुद्धि से स्टाम्प नम्बर 1081 तादादी 100/– रू. पर एक वसीयत पत्र दिनांक 15.11.1997 संवत् 2054 का मगसर बुदी 1 शनिवार स्वंय भादसोडा जाकर असल वसीयत पत्र रेस्पोडेन्ट वादी को सुपुर्द कर दिया। तभी से रेस्पोडेन्ट वादी स्वर्गीय चुन्नीलाल के साथ उसके हिस्से की बनने वाली कृषि भूमियो पर उनके साथ काश्त करता चला आ रहा है। वसीयत पत्र

नेष्पादक चुन्नीलाल की मृत्यु संवत् 2007 के पास आस हुई है। इनकी मृत्यु पश्चात् रेस्पोडेन्ट वादी वसीयत पत्र दिनांक 15.11.1997 के अंतिम वसीयत पत्र के आधार पर समस्त हक हिस्सा चुन्नीलाल के हक हिस्से की भूमि पर खातेदार दर्ज होने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत की कोरम मे रेस्पोडेन्ट वादी अथवा उसके परिवार से बिना जानकारी लिये जो नामान्तकरण सं. 410 दिनांक 06.12.2015 को मात्र विरासती आधार बताकर नामान्तकरण मृतक चुन्नीलाल का फैसल किया है। व भी पूर्ण फैसल किया गया है। चूंकि स्वर्गीय लाला के वारिसान कुलिया तीन नही होकर चार वारिसान थे। केवल चुन्नीलाल की मृत्यु लाऔलाद हो जाना मानकर फैसल भी किया जावे तब भी पारिवारिक सजरा अनुसार भेरा छोगा केशुराम के वारिसान के नाम फैसल करना चाहिये था साथ ही वसीयत पत्र की जानकारी सभी सहखातेदारान को वर्षो पूर्व थी तब भी उनका नाम गलत तौर से अंकित कर दिया। रेस्पोडेन्ट वादी वसीयत पत्र दिनांक 15.11.1997 जो स्वर्गीय चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 2004 मे प्रभावी हुआ है। उसके अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी पारिवारिक सजरा अनुसार वादपत्र की चरण सं. 3 मे अंकित साबिक बन्दोबस्त रेकार्ड से बनी नवीन भू–प्रबन्ध की रेकार्ड की अपना निहित 1/4 हिस्सा जिस कदर चुन्नीलाल के बजाय बनता है उसकी घोषणात्मक डिक्री हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। राजस्व रेकार्ड मे नामान्तकरण सं. 410 दिनांक 06.12.2004 के बाद जो परिवर्तन राजस्व रेकार्ड मे त्रुटिपूर्ण अंकित हुआ उसे भी इस खातेदारी घोषणा के साथ पारिवारिक हक हिस्से अनुसार दुरस्त कराया जाकर सही राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट वादी की स्वत्वाधिकार की बनने वाली कृषि भूमि का रकबा कम दर्ज कर दिया गया है। मगर मौके पर पारिवारिक सजरा अनुसार पक्षकारान स्वर्गीय लालाजी से आई पैतृक भूमि मे हिस्सा अनुसार ही पक्षकारान शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे त्रुटि पारित हो जाने से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 8 अकारण अपने को लाभान्वित मान रहे है। उन्होने भूमि की कमीबेशी को लेकर आये दिन रेस्पोडेन्ट वादी से विवाद करना प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड त्रुटिपूर्ण स्थिति मे होते हुए भी बिना इन्द्राज दुरस्ती के जबरन काबिज होने की धमकियां देने लगे है। इसलिये घोषणात्मक डिक्री व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 8 प्रतिवादी की प्रोपर तामील होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर बिना तनकियात कायम किये रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर मृतक खातेदार चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल की विरासत जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 8 के नाम दर्ज की गई थी को विलोपित की जाकर चुन्नीलाल की विरासत रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को चुन्नीलाल का गोदी पुत्र होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे वादपत्र डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। व अपील मे यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस दिनांक 02.12.2019 के जारी किये गये। लेकिन दिनांक 02.12.2019 को पीठासीन अधिकारी बाहर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.02.2020 नियत की गई। व दिनांक 17.02.2020 को भी पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20. 02.2020 नियत की गई। दिनांक 20.02.2020 का कोई नोटिस अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 8 को जारी नही हुआ फिर भी बिना नोटिस के दिनांक 20.02. 2020 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी का वादपत्र बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री निरस्ती योग्य है।

उक्त आशय की अपील अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रोपर तामील नही हुई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे बिना तामील किये दिनांक 20.02. 2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अपील मे यह भी निवेदन किया कि मूल पुरूष लाला के चार पुत्रो मे से एक की निरवसीयती फौत होने पर उसका विरासती नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियो व ग्राम पंचायत द्वारा समुचित जांच करने के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक के भाईयो के नाम पर स्वीकृत किया गया है। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,2 व 4 से 7 वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि खातेदार चुन्नीलाल सहखातेदार रहा है उसके कोई वारिसान नही होने से उसने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे वसीयत नामा निष्पादित किया है जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रदर्शित हुआ है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का

वादपत्र डिक्री करने मे कोई त्रुटि नही की है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 ने गलत तथ्यो के आधार पर म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद मानी जाती है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली वास्ते तामील हेतु नियत थी। जिसमे बिना तामील किये दिनांक 20.02.2020 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की दिनांक 20.02.2020 को कही तामील होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 201/2019 निर्णय व डिकी दिनांक 08.07.2020 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना सुनिश्चित कर तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ